उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़
आदेश पत्रक
विविध अपील वाद संख्या – 65/2010।
टाटा स्टील लि0 बनाम् राजू महतो

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
28-03-2018	– आदेश –	

अभिलेख उपस्थापित। पुकार करने पर विपक्षी अनुपस्थित। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पिछले कई तिथियों से विपक्षी अनुपस्थित चले आ रहे है। वाद के प्रति विपक्षी की अरूचि एवं उदासीनता को देखते हुए प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर एकपक्षीय बहस सुना, तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों के आधार पर आदेश पारित किया जा रहा है।

अवलोकन से स्पष्ट है कि माण्डू अंचल अन्तर्गत मौजा केदला, थाना नं0–160, थाना– माण्डू खाता नं0– 01, प्लॉट नं0–105, रकवा–1.24 एकड़ भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है, जिसकी जमाबंदी वाद में विपक्षी राजू महतो, पिता– स्व0 रामेश्वर महतो, ग्राम–केदला, थाना–माण्डू, जिला हजारीबाग हाल जिला– रामगढ़ के नाम से पंजी– II के पृ0सं0– 65/B में कायम है। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त कायम जमाबन्दी प्रथम दृष्टया में संदिग्ध प्रतीत होता है।

प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त खाते की भूमि लीज पर प्राप्त करने का दावा किया जा रहा है, परन्तु उक्त परिपेक्ष्य में किसी तरह का दावा दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में आवेदक द्वारा दायर आवेदन को **अस्वीकृत** करते हुए **राजू महतो, पिता– स्व0 रामेश्वर महतो, ग्राम–केदला, थाना–माण्डू, जिला हजारीबाग हाल जिला– रामगढ़ के नाम से** से **पंजी– II के पृ0सं0– 65/B में मौजा केदला, थाना नं0–160, थाना– माण्डू खाता नं0– 01, प्लॉट नं0–105, रकवा–1.24 एकड भूमि की कायम जमाबन्दी को स्थगित** रखते हुए अंचल अधिकारी, माण्डू को आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार प्रश्नगत भूमि की जमाबन्दी, सृजन एवं भूमि के वर्तमान स्वरूप की विस्तृत बिन्दुओं की जाँच करेंगे कि किस स्थिति में गैरमजरूआ भूमि का जमाबन्दी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया गया है तथा जमाबन्दी अवैध पाये जाने की स्थिति में दोषी कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध प्रशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, माण्डू भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ एवं अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ को अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। इसी मन्तव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

262/विवि
263/विवि
264/विवि
दि0-03/4/18

लेखापित एवं संशोधित

28/3/18

उपायुक्त,
रामगढ़।

28/3/18

उपायुक्त,
रामगढ़।